न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00001

1. चन्द्र प्रकाश आत्मज रामलाल जाति मीणा ।
2. मुकेश आत्मज रामलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कान्ता बाई पुत्री रामलाल पत्नी पूरणमल जाति मीणा निवासी ग्राम करीर का खेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. सुखी बाई बेवा रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. बद्री आत्मज गणपत जाति मीणा निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा

---अपीलान्ट

बनाम

1. नन्द बिहारी आत्मज रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 19.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आमोरा तहसील दीगोद में कुल 02 किता की 3.53 भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 के खाते में दर्ज चली आ रही

है । इसी प्रकार ग्राम आमोरा में खाता संख्या 39 में कुल 04 किताकी 3.06 हैक्टर भमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है । पूर्व में उक्त भूमि प्रार्थी के दादा गणपत जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी । गणपत की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र रामलाल व बद्रीलाल के नाम दर्ज हुई । रामलाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हुई जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी क्रम 05 का 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ । अप्रार्थी क्रम 05 बद्रीलाल अपने नाना के यहॉ गोद चला गया था तथा नाना की सम्पत्ति उन्हें विरासत में प्राप्त हुई जिस पर वह काबिज काश्त है । पक्षकारान जाति से मीणा हैं तथा मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । खातेदार रामलाल की मृत्यु के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 के नाम उक्त भूमि दर्ज हुई । मीणा जाति व समाज में पुत्रियों का भूमि में कोई अधिकार नहीं होता है । रामलाल की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1व 2 काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 व 3 में वर्णित भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ही खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं । इस कारण राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 5 का नाम डिलीट किया जाकर उक्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 5 का नाम दर्ज होने के कारण वे उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को रहन, बेचान करने पर आमादा हैं ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम आमोरा तहसील दीगोद की कुल 02 किता की 3.53 हैक्टर एवं इसी ग्राम की कुल 04 किता की 3.06 हैक्टर भूमि में से प्रार्थी के 1/3 हस्से के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें और उक्त भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें । उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान, अन्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 01 लगायत 05 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2019 के द्वारा प्रार्थीग का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को ताफैसला वाद रहन, बेचान नहीं करने एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । खातेदार के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गुणावगुण पर कोई अवलोकन नहीं किया । रामलाल व बद्रीलाल गणपत के पुत्र हैं । बद्रीलाल जी 1/2 हिस्से पर खातेदार हैं तथा अपने हिस्से का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं । स्वयं रेस्पोडेन्ट ही वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्सा स्वीकार करता है तो उक्त हिस्से से अधिक

हिस्से की मांग करने से एस्टोप्ड है । अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर लिया है । अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । रामलाल और बद्रीलाल गणपत के पुत्र हैं । बद्रीलाल 1/2 हिस्से के खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । गणपत और रामलाल के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार सहखातेदारान काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेन्ट 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्सा अपना स्वीकार करता है उससे अधिक हिस्से की मांग करने से एस्टोप्ड है । सहखातेदार अपने हिस्से की सीमा तक आराजी का विक्रय कर सकते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 25, डीएनजे 1995 (राज0) पेज 38 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम आमोरा तहसील दीगोद में स्थित है । आराजी गणपत जी के खाते में दर्ज थी । गणपत जी के 02 पुत्र रामलाल एवं बद्रीलाल हुए । रामलाल की मृत्यु के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 का नाम दर्ज हुआ । बद्रीलाल अपने नाना के यहॉ गोद चला गया था उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है इस कारण उसका नाम डिलीट किया जाना आवश्यक है । मीणा जाति में महिलाओं को पिता/पति की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट क्रम 03 ससुराल में रहती है और अपीलान्ट क्रम 04 रामलाल की विधवा पत्नी है । इन दोनों का वादग्रस्त आराजी में न तो कब्जा है और न ही अधिकार है । रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्ट क्रम 01 व 02 रामलाल के लडके हैं । इस कारण वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का 1/3 हिस्सा निहित है जिसके बाबत् परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 39 संलग्न है जिसमें कुल 04 किता की 3.06 हैक्टर बद्री पुत्र गणपत हिस्सा 1/2, नन्द बिहारी, चन्द्रप्रकाश, मुकेश पुत्र कान्ता बाई पुत्री सुखी बाई बेवा रामलाल हिस्सा 1/2 दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या

75 के संलग्न है जिसके अनुसार बद्री पुत्र गणपत हिस्सा 1/2, नन्दबिहारी, चन्द्रप्रकाश, मुकेश पुत्र कान्ता बाइ पुत्री सुखीबाई बेवा रामलाल हिस्सा 1/2 जाति मीणा दर्ज है । नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति भी पेश की है ।

11. पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है और ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार पुरूष उत्तराधिकारी के होने पर महिलाओं को पिता/पति की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय में जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें विशेष आपत्तियों में बिन्दु संख्या 07 में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 रामलाल के वारिस हैं इस कारण रामलाल की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थी और अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है । इस प्रकार रामलाल की मृत्यु के बाद से उनके हिस्से में अपीलान्ट क्रम 3 व 4 का जो हिस्सा दर्ज हुआ है वो गलत रूप से दर्ज किया गया है । रामलाल की मृत्यु हो जाने के बाद आराजी अपीलान्ट क्रम 1व 2 और रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के नाम दर्ज होनी चाहिए । जहॉ तक बद्रीलाल अपीलान्ट क्रम 05 के गोद जाने और इस आधार पर रिकॉर्ड से नाम डिलिट करने का प्रश्न है यह मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त ही तय होगा इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर अपीलान्ट क्रम 05 वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज हैं जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलान्ट क्रम 05 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है परन्तु अपीलान्ट क्रम 03 और 04 का वादग्रस्त आराजी में ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार प्रथमदृष्टया कोई हित–निहित नहीं है न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में है । ऐसी स्थिति में इन दोनों को ताफैसला दावा वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

"प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी क्रम 3 व 4 कान्तिबाई पुत्री रामलाल व सुखी बाई बेवा रामलाल को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी ग्राम आमोरा तहसील दीगोद में खाता संख्या 75 की खसरा नम्बर 172 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 213 रकबा 2.98 हैक्टर कुल 02 किता की 3.53 भूमि एवं खाता संख्या 39 में खसरा नम्बर 41 की रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 1. 55 हैक्टर कुल 04 किता की 3.06 हैक्टर के किसी भाग को रहन, बेचान अथवा अन्यत्र खुर्द–बुर्द नहीं करें" ।

13. निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा